प्रकरण संख्या 14/2018 रामसिंह बनाम राजिया

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.08.2019	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 13 द्वारा अपीलान्टगण व सरकार के विरूद्ध एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251–ए प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मोराणा में प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजियात प्रार्थीगण के आधिपत्य एवं स्वामित्व की हैं। प्रार्थीगण की भूमि पर जाने का रास्ता इस जमीन से दक्षिण दिशा में जुड़ी विपक्षी संख्या 1 से 6 की खातेदारी की आराजी नंबर 1152 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा में से होकर जाता है, जिससे वह अपने खेतों पर आते–जाते हैं एवं ट्रैक्टर, बैल, मवेशी आदि लाते–ले जाते हैं, किन्तु विपक्षीगण रूकावट पैदा करते हैं। प्रार्थीगण द्वारा मौके पर 30 फिट चौड़े रास्ते का उपयोग किया जा रहा है। अतः उक्त रास्ता दिलाया जावे। प्रार्थीगण नियमानुसार डी.एल.सी. दर से शुल्क राजकोष में जमा कराने को तैयार है। विपक्षी संख्या 1 से 6 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर बताया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में जाने का वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तथा वह उससे ही आते–जाते हैं। इसलिए रूकावट का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अतः आवेदन खारिज किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22.05.2017 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 से 6 द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 30.10.2018 को यह अपील प्रस्तुत की गयी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 से 6 व 10 से 13 की ओर से वकील श्री लोकेश मेनारिया उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 14 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट द्वारा देरी के कारणों को स्पष्ट करते हुए दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन सशपथ प्रस्तुत किया गया, जिसमें वर्णित कारण उचित प्रतीत होने से न्यायहित में दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपील	

मीमों में ही वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया तथा मुख्य रूप से यह आपत्ति ली कि उन्होंने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर वैकल्पिक रास्ता होने का निवेदन किया था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है तथा पत्रावली राजस्व लोक अदालत में रखकर विपक्षीगण की अनुपस्थिति में केवल मात्र तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर रास्ता कायम करने का आदेश दिया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर रास्ते कायम किये जाने बाबत जो आदेश दिया है वह विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में मात्र तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के आधार पर रास्ते बाबत् आदेश पारित कर दिया, जबकि उक्त रिपोर्ट अपीलान्ट की अनुपस्थिति में तैयार की गयी है तथा न्यायालय आदेशिका अनुसार राजस्व लोक अदालत में अपीलान्टगण के उपस्थित होने की कोई साक्ष्य नहीं है। अर्थात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है, जबकि उनके खण्डन का जवाब पत्रावली के रेकार्ड पर है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय एवं विधि के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.05.2017 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर उनसे साक्ष्य सबूत के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 31–10–2019 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर